

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



महामाया एजुकेशन ट्रस्ट
न्यास विलेख / ट्रस्ट डीड

यह न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड) महामानव भगवान गौतम बुद्ध की पेशवाई माताजी महामाया के नाम पर आज दिनांक 21.04.2008 को सीमती शिवा मौर्य पत्नी श्री स्वामी प्रसाद मौर्य निवासी-8/237 ई. विपुल खण्ड मोमती नगर लखनऊ को, महेशिखत संस्थापक/चेयरमैन ट्रस्टी "महामाया एजुकेशन ट्रस्ट" द्वारा निष्पादित किया गया है।

ट्रस्ट का नाम : महामाया एजुकेशन ट्रस्ट
 न्यास ट्रस्ट का पंजीकृत पता : 8/237 ई-विपुल खण्ड, मोमती नगर, लखनऊ
 न्यास ट्रस्ट का मुख्यकार्यालय : 8/237 ई-विपुल खण्ड, मोमती नगर, लखनऊ
 न्यास ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण विश्व
 सिद्ध का वर्ग : शैक्षणिक/धार्मिक (बैरोटेबल)
 न्यास/ट्रस्ट के उद्देश्य

महामानव गौतम बुद्ध की शक्ति का शक्ति-राज्य जीवन व धर्म साधक मोमती नगर अखिलेश्वर विद्यापीठ, विशाल एवं दर्शन का प्रसार-प्रसार करने हुए लखनऊ, पूर्वी एवं पश्चिमी की भाषाओं में प्रसारित हुए वैज्ञानिक साधना की स्थापना करना।

शिवा मौर्य
 Sanginita Mangra
 उद्योग मंत्री
 महापति/चेयरमैन



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 530965

2-

2. राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता को सर्वोपरि धरती हुए जहाँ से सम्बन्ध, संघर्ष, वैभवं, ईश्वर तथा नृबन्ध सम्बन्धी का अवधारण करना।
3. विभिन्न वर्गों से उपस्थित छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक, सांस्कृतिक व शै-सांस्कृतिक शिक्षा दियाने हेतु प्रखण्ड अति-शिक्षण पुनर्विनीत (Private Educational Institute University) विभिन्न वर्गों एवं अल्पसंख्यक, क्षेत्रगत कनिष्ठ, उच्च-शिक्षण, उच्च-शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना।
4. स्वयं सेवक बनने (व्यक्ति) करने शिक्षण संस्थान अपने विषय व सम्बन्ध करने हेतु स्वयं सेवक, विभिन्न वर्गों संघर्षन च्यास से ही होगा।
5. विश्व शांति स्थापना हेतु समग्र-समग्र पर समग्र, शैक्षणिक, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों का अवधारण करना।
6. विश्व सम्पुटा एवं जातीय व वर्गभेदों एक शिक्षणकारी स्थापना की स्थापना हेतु राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक संस्था, तकनीकी युवा व पर्यावरण सुखी हेतु शिक्षण जादान-प्रदान करने के लिए शिक्षण का अवधारण करना।
7. प्रतिभाधान छात्र-छात्राओं को आधुनिक तकनीकी तथा संस्कृति व इतिहास की अवधारण करने हेतु देश-विदेश में शिक्षा प्रेषण करने के लिए योजना तथा शांति के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रतिभाधान क्षेत्रों को समग्र-समग्र पर सम्भालना करना।
8. पत्नी, प्रकृत, संस्कृत भाषा, तकनीकी, स्वास्थ्य एवं वीर्य शिक्षण के प्रोत्साहन एवं प्रचार-प्रसार के लिए वक्त्र-वक्त्रों का प्रकाशन व प्रिंटिंग प्रेषण प्रेषण।
9. वीर्य संस्कृति के प्रचार-प्रसार हेतु क्षेत्रों में अभिक्रमि प्रेषण करना तथा उनमें सभी सामाजिक संस्थाएं शामिल होकर अपनी-अपनी हेतु प्रस्तावनाओं की स्थापना करना।
10. प्राचीन भाषा के प्रचारण हेतु विद्युत् शिक्षण, अल्पसंख्यक संस्थाओं की स्थापना करना, विद्युत् शिक्षण क्षेत्र एवं बुद्ध शिक्षण का विचार करना व उच्च-शिक्षण, उच्च-शिक्षण क्षेत्रों में शिक्षण प्रेषण करना।

भारतीय न्यायिक
 एक सौ रुपये
 B-5 APR 2000
 भारतीय न्यायिक
 एक सौ रुपये

Handwritten signature and initials on the left margin.

विद्या मेघा Singhmitan Mehta
 Handwritten signatures and names at the bottom of the page.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

3

R 530964

11. देश-विदेश की धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक उपलब्धियों को सुरक्षित रखने हेतु विशेषकर बौद्ध तीर्थस्थलों पर प्रयोग हेतु पर्यटन की व्यवस्था करने की योजनाओं को अग्रदृष्टीय सम्येकता से भाग लेकर नई तकनीकी एवं विदेशी नीतियों की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करने का उद्योग करना।
12. देश-विदेशी एवं असाहाय महिलाओं को विधि सहायता, न्याय एवं अधिकार दिलाने हेतु उन्हें परतकार बनाकर सम्मानजनक जीवन-पारन करने हेतु महिलाओं को पूर्ण विकास एवं अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने का उद्योग करना।
13. राष्ट्रीय एवं प्रांतीय स्तर पर रहने वाले छात्र-छात्राओं एवं लोगों के सम्पूर्ण विकास हेतु एक राज्य सरकार विभाग बोर्ड एवं सम्बन्धित विभागों से सहयोग से चलानी जा रही कल्याणकारी योजनाओं द्वारा आत्मनिर्भर बनाने हेतु सुस्तन प्रशिक्षण जैसे-सिलाई, कढ़ाई-दुनाई, इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी, दूरी कालीन, पैन्टिंग, टंकण, कम्प्यूटर ग्राफीकल, टीवी तथा रेडियो रिपेयरिंग आदि का प्रशिक्षण देकर/दिलाने वाले स्वयंसेवक बनाने।
14. निर्धन एवं कमजोर वर्ग के उत्थान हेतु केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम बोर्ड/आयोग आदि के वित्तीय सहयोग/श्रेण से प्रायोगिक को स्वयंसेवक बनाने, चलाने एवं प्रायोगिकों को उत्थान हेतु उत्साहन करना एवं उसकी निरीक्षण करना। प्राप्त अर्थ को म्यास की हितार्थ व्यय करना।
15. देश की निर्धन अल्प, असाहाय, बेघर, विकलांग, अन्धे सुते, बहरे, पिछड़े, दलित एवं अल्पसंख्यक बालक/बालिकाओं के सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षण संस्थाओं, प्रशिक्षण केंद्रों तथा छात्रावासों की स्थापना करना तथा केंद्रीय एवं राज्य सरकारों से सम्बन्धित विभागों जैसे-विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, युनेस्को, महिला एवं बाल विकास विभाग, कार्यालय, नाभार, बाल विकास मुद्राहार, युनेस्को, महिला कल्याण विभाग, हस्तशिल्प मन्त्र मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, मत्स्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, मन्त्र सलाहक विकास मंत्रालय, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड आदि के वित्तीय सहयोग से सहायता जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में कार्यक्रम को धलाकर लागू करने का प्रयास करना।
16. निर्धन एवं असाहाय छात्र-छात्राओं एवं लोगों को शिक्षा प्राप्त प्रशिक्षण करने एवं उनमें लिए नि:शुल्क दैनिक अथवा वृत्तिकाओं एवं मुक्तियों का प्रयोग करना।

APR 2008
 5
 2008

[Handwritten signature]

श्रीवा मीका Sanghmitra Manu...

[Handwritten signatures and stamps]

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

4

L 247596

विशुद्ध जोड़िया प्रकाशना की व्यवस्था करना। सामाजिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यों में वृद्धि आगमन करना एवं उनमें शारीरिक विकास हेतु खेल-कूद धारण आदि का प्रवर्धन करना।

17. इलेक्ट्रिकल तकनीकी कार्यक्रमों के मैट्रिकल स्तरपर तक विद्यार्थकों के प्रवेश को व्यवस्था करना एवं पेशों के लिए पूर्ण प्राथमिक से स्नातकोत्तर तक हिन्दी में इंजीनियरिंग के विद्यार्थकों की स्थापना करना व सहायता करना।

18. नैतिकगरी, कूट करने हेतु युवा-युवतियों को तकनीकी कार्य सिखाना एवं लघु-कुटीर उद्योगों को समर्थन हेतु उचित परामर्श, सहायता तथा प्रोत्साहन देना।

19. छात्रों को बुनियादी अनुकूलित, सुरक्षित व उपहार प्रदान करना। उच्च शिक्षा हेतु विभिन्न क्षेत्रों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियों प्रदान करना।

20. गाँवों एवं शहरों की युवा वर्ग को संगठन के प्रति प्रेरित करना गाँवों में शैक्षी कार्यक्रम, प्रशिक्षण शिविर एवं प्रसारण सम्बन्धित शिबिरों की स्थापना करना।

21. पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण हेतु सामाजिक बानिजी, हरित क्रांति को अधिक प्रभावी बनाने हेतु पौधों की नर्सरी प्रसारण, भूमि सुधार एवं जल संकटों को दूर करने तथा जल संचयन व जल सभा की भूमि प्रदान कर जल पर प्रसारण करना व शहरों में इस्पात उद्योग प्रवर्धन।

22. देश की एकता, अखण्डता एवं सामाजिक सद्भावना को बर्धन करने का आभेदन व प्रसार के माध्यम से जन-जन में देश-प्रेम की भावना जागृत करने अथवा नई धारे की भावना प्रवर्धन करना।

23. देशी प्राकृतिक प्रकीर्ण जैतून-महागती, बैजा, बाइ, अम्लिकावृक्ष व अन्धबोध सेवा सहायता तथा वनाध्यक्षों को उचित प्रवर्धन करना एवं सफल वारस्य सेवाओं की व्यवस्था करना।

24. सामग्य उत्पादन एवं बांधाग्य हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन, वैश्वीय स्वास्थ्य दिनांक, राज्य सस्कारी एवं राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बांधाग्य संस्थाओं को सहायता देना एवं प्रवर्धन करना।

25. मानव शक्ति को लिए जगह-जगह विज्ञानसालों, सहायकों, अस्पतालों, शक्ति होम्स की स्थापना करना एवं अनुभवी वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, नर्सों, सम्पादनकर्ता इत्यादि को रोजगार प्रदान करने में सहायता देना।

विभागाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश
विभागाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश
विभागाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश
विभागाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश

मेनेजिंग ट्रस्टी-सुभी संधनिका शीर्ष एवं श्री उत्कृष्ट शीर्ष (संयुक्त रूप से आजीवन)-

1. न्यास के कार्यवाहकों पर नियंत्रण रखने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना।
2. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य कोई भी कार्य करना।
3. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक धन अपने पास रखना व व्यय करना।
4. सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं, ट्रस्टों व व्यक्तियों से धन व अनुदान प्राप्त करना तथा न्यास की संपत्ति पर नियंत्रण रखना।
5. प्रत्येक मासपूर्व संचरण से मेनेजिंग ट्रस्टी की मूल/निर्गत अतिरिक्त धन प्राप्त करना।
6. बैंकों में खाता खोलना, प्रेषण धन को उत्तम ढंग करना व निष्काशना तथा उसकी अन्य की उचित व्यवस्था करना।
7. न्यास के कर्मचारियों के आर्थिक अवकाश, अतिरिक्त अवकाश, पेंशन तथा बहाली आदि का कार्य करना।
8. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अधिलेखित/कर्मचारियों को नियुक्ति करना तथा सेवा निवृत्तवाली बनाना।

सीमाध्यक्ष-श्री उत्कृष्ट किशोर शास्त्री (आजीवन)-

1. न्यास की ओर से पत्र व्यवहार करना।
2. बैंकों की कार्यवाही निष्पन्न व सुचारु।
3. बैंकों हेतु बिल, समग्र व स्थान निर्धारित करना एवं उचित रूपाना देना।
4. वार्षिक बजट तैयार करना।
5. राजस्वीय सहायता, अनुदान, ग्राण्ट, दान प्राप्त करना एवं सम्बंधित आगुनेन्द्रस (अभिलेखों) का निष्पादन व उन पर हस्ताक्षर करना।
6. आय-व्यय का हिसाब रखना, आवश्यक सूचीयें प्रेषण करना।
7. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सेवरमंत/मेनेजिंग ट्रस्टी द्वारा दिये गये कार्यों का अनुपालन करना।

संस्थाक न्यासी/पेट्रन ट्रस्टी :-

न्यासियों के बोर्ड के अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह 5 संस्थाक न्यासियों को नामित कर सकता है जिन्हें कि न्यासियों के बोर्ड में शामिल किया जा सकता है। जिसका एक संस्थाक संयोजक होगा जिससे एक भुज्या संस्थाक एवं अधिकतम 4 संस्थाक न्यासी होंगे। संपत्ति की सहायक दल शीर्ष व श्री उत्कृष्ट शीर्ष मुख्य संस्थाक न्यासी है जो आजीवन रहेंगे।

सहायक सचिव/एडवाइजर मेम्बर-

एसे सदस्यों की नियुक्ति न्यासियों द्वारा समय-समय पर की जावेगी संपत्ति श्री महादेव शीर्ष व इण्डियन श्री विनोद कुमार शीर्ष आजीवन सहायक सचिव रहेंगे।

न्यास (ट्रस्ट) का प्रबंधन-

न्यास के समस्त प्रबंधनीय कार्य न्यासियों के बोर्ड की प्रबंधकारी समिति द्वारा किया जावेगा। न्यास/ट्रस्ट की सचरबता एवं चालक बने-

1. संस्थापक/सेवरमंत ट्रस्टी

श्रीमती विद्या शीर्ष ने इस न्यास की स्थापना किया है एवं 10000/- (दस हजार रुपये मात्र) रुपये सहयोग दिया है। इसलिए वे संस्था के आजीवन संस्थापक/सेवरमंत ट्रस्टी रहेंगी।

2. मेनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष

सुभी संधनिका शीर्ष व श्री उत्कृष्ट शीर्ष संयुक्त रूप से मेनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष आजीवन रहेंगे व ट्रस्ट की संचालन में पूर्ण सुविधा से रहेंगे/रहेंगे।

श्रीमती विद्या शीर्ष (Sanjivita Maurya)

 श्रीमती सुभी संधनिका शीर्ष (Sushmita Maurya)

 श्री उत्कृष्ट शीर्ष (Utkrsh Maurya)

 श्री विनोद कुमार शीर्ष (Vinood Kumar Maurya)

3. कीर्मान्वयन / टैक्स ट्रास्टी

को न्याय विचार तथा कीर्मान्वयन / टैक्स ट्रास्टी आजीवन और 3 म्सात को पूर्ण के लिए उपाय अधिकार का विधिक हक है।

4. संरक्षक न्यायी / टैक्स न्यायी

को न्यायिक रूप से और और अन्य को संरक्षक न्यायी / टैक्स न्यायी आजीवन और 3 म्सात को पूर्ण के लिए उपाय अधिकार का विधिक हक है। ट्रास्ट में आकर रहने वाले।

5. संसाधनकार, सारथी / एडवाइजर पेशवा

को सारथी और 30 दिनों के बाद को संसाधनकार, सारथी / एडवाइजर तथा आजीवन और 3 म्सात को पूर्ण के लिए उपाय अन्य सारथी के साथ सेविक ट्रास्टी / अन्वय के साथ पर सारथी हो रहे।

न्यायियों के बोर्ड को सदस्यों के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1. न्याय के कार्यकारी के सम्बन्ध में अनुसंधानों को सिद्धित करना। उन्हें सारथी और अन्य सुविधाएं प्रदान करना।
2. सारथी न्यायियों न्याय की प्रक्रिया आदिमें सहित / संसाधन न्यायियों में प्रवेश होनी।
3. न्याय के सदस्यों को पूर्ण से उपाय कार्य करना।
4. न्याय के दिवसों में आवश्यक सौजन्य करना।
5. आम-समय की संरक्षित देना।
6. न्याय के विचारों से अपने को सारथी करना।
7. न्याय के सदस्यों (न्यायियों) को सारथी सारथी व सारथी करना।

न्यायियों के बोर्ड (बोर्ड ऑफ ट्रास्टीय) में सेविक ट्रास्टी के अन्वय को सिद्धित-

न्यायियों के बोर्ड द्वारा न्यायियों के बोर्ड में सेविक ट्रास्टी अन्वय को सिद्धित, न्यायियों के बोर्ड को सारथी का विधिक हक और व अन्य सारथी के साथ न्यायियों के बोर्ड के अन्वय में सेविक ट्रास्टी अन्वय है।

प्रबन्धकारिणी समिति का कार्य, बैठकें, सूचना सारथी तथा बोर्ड:-

प्रबन्धकारिणी समिति में आम सारथी होने किये किये न्यायियों को बोर्ड :-

1. अन्वय / सारथी - एक
2. सेविक ट्रास्टी / अन्वय - दो
3. कीर्मान्वयन / टैक्स ट्रास्टी - एक
4. संरक्षक न्यायी / टैक्स न्यायी - दो
5. संसाधनकार सारथी / एडवाइजर पेशवा - दो

न्यायियों के बोर्ड को प्रबन्धकारिणी समिति को बैठक 10 में एक बार होनी चिकनी सूचना सारथी अन्वय के सदस्यों को 15 दिन पूर्व ही करनी। आवश्यक बैठक 24 घण्टे पूर्व सूचना सारथी सुनाई करनी। बैठक का सारथी सदस्यों की कुल संख्या का 2/3 होगा।

प्रबन्धकारिणी समिति का कार्य:-

- (क) समिति द्वारा सारथी तथा सारथी कार्य किया करना एवं उसे संरक्षित से न्यायियों के बोर्ड के सारथी प्रस्तुत करना।
- (ख) न्याय में कार्यकारिणी के बोर्ड की नियतों सारथी एवं सारथी सारथी-सारथी पर आवश्यक सारथी व सारथी देना।
- (ग) न्याय (ट्रास्ट) के प्रबन्धकारिणी के विधिक अनुसंधानकार सारथी कार्य।

[Handwritten signatures and notes in blue ink are present at the bottom of the page, including names like 'Sugandha Mehta' and 'Sugandha Mehta'.]

- (ग) खास के संस्थाक व्यक्तित्व सम्बन्धित कार्य समिति के सदस्यों आजीवन सदस्यों सम्बन्धित सदस्यों एवं सहायक सदस्यों की नियुक्ति एवं विभाजन संबंधी कार्य।
- (ख) खास के कार्य की पूर्णता को देखते हुए अन्य आवश्यक कार्य का सम्पादन करना।

कोई भी व्यक्ति सदस्य नहीं होगा-

- 1. अल्पवय विवाहित
- 2. रिक्त किम व्यक्ति
- 3. किसी कारण से दोष सिद्ध व्यक्ति हो।

सदस्यता समाप्ति-

निम्नलिखित कारणों से किसी भी व्यक्त को सदस्यता समाप्त समझी जायेगी-

- 1. मृत्यु हो जाने पर
- 2. भारत का विवाहित होने पर
- 3. किसी मामले में अपराध द्वारा दण्डित होने पर
- 4. खास के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर
- 5. धरम-पत्र देने पर
- 6. संस्थाक ट्रस्टी की संस्थाक समाप्ति या मृत्यु की वशा में उनको उत्तरदायीता प्राप्त होना संबंधित व्यक्तियों के एवं संस्थाक व्यक्तियों के समस्त अधिकार उन्हें खोने प्रदा होना।

रिक्त स्थानों की पूर्ति-

कोई व्यक्ति के कोई भी स्थान पर कोई पद रिक्त होता है तो उसकी पूर्ति अन्य कारण के लिए अथवा द्वारा की जायेगी।

अपराधी कार्यकारी-

खास के तब किम के कृत्यों की पूर्ति करने का उत्तरदायित्व संस्थाक / ट्रस्टर ट्रस्टी या अध्यक्ष / मैनेजिंग ट्रस्टी से द्वारा अतिरिक्त प्रतिनिधि की होगा।

खास (ट्रस्ट) का जीवन-

खास का कोई किसी भी संस्थाक द्वारा बैंक सहायता व आरुपेट बैंक या पोस्ट ऑफिस में खास के नाम खाता खोलकर रखा जायेगा तथा संस्थाक व ट्रस्टी मैनेजमेंट के संयुक्त हस्ताक्षरों से खाता संचालित किया जायेगा।


निधियों में संशोधन-

खास के निधियों में संशोधन का अधिकार केवल अध्यक्ष / मैनेजिंग ट्रस्टी की शक्त सुरक्षित रहेगा। यदि कुछ बढ़ाया जाना है तो वह बैंक द्वारा कराया जायेगा। शर्तों में से किसी एक के न रहने पर उक्त बैंक एक द्वारा ही संचालित होगी।

खास का अधिक-

खास (ट्रस्ट) का अधिक किसी योग्य आजीवन द्वारा कराया जायेगा।

ह/क



 Sanghmitra Margya

 Sangh-in Margya

 संस्थाक अध्यक्ष

 संस्थाक अध्यक्ष

संविधान प्रतिक्रिया विभाग, मुंबई व अर्धसैनिकी दल (सहायता, उपनिवेश, इत्यादि) अति
रिक्त (सं. १००)

इसमें २००० वर्ष पूर्व तक के सभी राजाओं के नामों का उल्लेख है। इनमें से कुछ राजा
का नाम पुराने नाम से ही है। अन्य राजाओं के नामों में परिवर्तन आया है। इन राजाओं
के नामों के अलावा-संविधान के अंतर्गत ही इन राजाओं के नामों का उल्लेख है।
इसमें २००० वर्ष पूर्व तक के सभी राजाओं के नामों का उल्लेख है। इनमें से कुछ राजा
का नाम पुराने नाम से ही है। अन्य राजाओं के नामों में परिवर्तन आया है। इन राजाओं
के नामों के अलावा-संविधान के अंतर्गत ही इन राजाओं के नामों का उल्लेख है।

सभी पृष्ठों पर

संस्थापक / वेबसाइट

पृष्ठ-१

नाम- *पि. व. मंगेश*
पिता का नाम- *श्री. मंगेश*
पता- *मुंबई, मंगेश*

पि. व. मंगेश
(संविधान प्रतिक्रिया विभाग)

अध्यक्ष / निदेशक, मुंबई

पृष्ठ-२

नाम- *श्री. मंगेश*
पिता का नाम- *श्री. मंगेश*
पता- *मुंबई, मंगेश*

पि. व. मंगेश
(संविधान प्रतिक्रिया विभाग)

अध्यक्ष / निदेशक, मुंबई

पृष्ठ-३

नाम- *श्री. मंगेश*
पिता का नाम- *श्री. मंगेश*
पता- *मुंबई, मंगेश*

अध्यक्ष / निदेशक, मुंबई

संविधान प्रतिक्रिया विभाग

(संविधान प्रतिक्रिया विभाग)

पि. व. मंगेश
संविधान प्रतिक्रिया विभाग

संस्थापक / वेबसाइट

पि. व. मंगेश

१५

